## अनुसूचित जातियों से संबंधित मुद्दे :-

अनुसूचित जातियां देश के सदस्य देश के सबसे निर्धनतम वर्गों में से एक है।

NHRC की रिपोर्ट के अनुसार, अनु॰ SC & ST की स्थिति में बदलाव करने के लिए तीन आयामीय कार्यनीति बनाई गई है जिसमें सम्मिलित हैं।

(i) संरक्षण

- प्रथागत व्यवस्थाओं को समाप्त करना जिनसे उनके सम्मान और व्यक्तित्व को गहरी चोट पहुँचती है।
- समानता लागू करने और अयोग्यताएं दूर करने के लिए विधिक / विनियामक उपाय।
- SC/ST के लिए गारंटीशुदा अधिकारों और लाभों की सुरक्षा रक्षा के लिए स्वायत्त निगरानी संस्थान (watch dog institution) स्थापित करना।

(ii) क्षतिपूरक भेदभाव

→ सार्वजनिक सेवाओं, प्रतिनिधिक निकायों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के प्रावधान लागू करना

(iii) विकास

→ SC/ST व अन्य समुदायों की आर्थिक स्थितियों और सामाजिक स्थिति के बीच विशाल अंतर को पाटने के लिए उपाय

→ संसाधनों का आवंटन

→ लाभों का न्यायोचित विभाजन।

GENERAL STUDIES HINDI

### अन्य संबंधित संवैधानिक सुरक्षा / संवैधानिक प्रावधान :-

1) अनुच्छेद 17 — अस्पृश्य अस्पृश्यता का उन्मूलन

2) अनुच्छेद 46 :- राज्य, लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से SC & ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करेगा। और सामाजिक अन्याय व शोषण के सभी रूपों से उनका बचाव करेगा।

3) अनु॰ 330 और 332 — लोकसभा और विधान सभाओं में SC/ST के लिए स्थानों का आरक्षण।

4) अनु॰ 338 — एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति (SC) आयोग की स्थापना संबंधी प्रावधान।

(Protection of civil rights)

**विधायी संरचना** :- 1) नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955. (PCR)
2) SC और ST (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम 1989. (1990 में लागू)

**उद्देश्य** :- SC/ST सदस्यों के विरुद्ध अपराधों को रोकना, पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था करना।

**अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु विधान** :- 1) बंधुआ मजदूरी पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम - 1976.
2) एक समान पारिश्रमिक अधिनियम - 1976.
3) बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम - 1986.
4) न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम - 1948

i. **संस्थागत संरचना** :- राष्ट्रीय अनु॰ जाति आयोग - अनु॰ 338
संविधान (89 वाँ संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा 338 में संशोधन कर प्रथम SC & आयोग और ST आयोग गठित किया गया।

ii. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग** :- ① अस्थायी आयोग (1+1+5) (एक अध्यक्ष / एक उपाध्यक्ष + 5 अन्य सदस्य
(एक महिला सदस्य होना अनिवार्य)

iii. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ~~1991~~ 1993 :- यह आयोग भी SC/ST के शोषण की शिकायतों में हस्तक्षेप कर सकता है।

iv. **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम** 1990

## संरक्षण प्रणाली के कार्यकरण का मूल्यांकन :-

अनु० जातियों (SC) के विरुद्ध अत्याचारों की रोकथाम के संबंध में NHRC द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया था -

"सांविधिक आयोगों की रिपोर्टों में आयोग विशेष द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने में काफी अंतराल होता है। चूंकि ~~संबंधित सरकारों~~ संबंधित एजेन्सियों की टिप्पणियां प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है। यह अंतराल कभी-कभी तीन वर्ष का होता है"

* सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सलाह —
  - SC & SC (अत्याचारों का रोकथाम) अधिनियम 1989. PCR - 1955 द्वारा उठाए गए कदम.
* अंतर-राज्य परिषद की बैठक द्वारा की गई सिफारिशों द्वारा। मसलन —

  स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, संत रविदास जयंती, महात्मा गांधी जयंती, जगजीवन राम जयंती, डॉ. बी० आर० अंबेडकर जयंती आदि के अवसर पर मुद्रण मीडिया में विशेष अभियान।

→ आय सृजक लाभभोगी उन्मुख स्कीमों के माध्यम से

→ 1 वर्ष से अधिक लंबित मामलों की सुनवाई शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए।

GENERAL STUDIES HINDI

## अपेक्षित प्रशासनिक कार्रवाई :-

1) प्रशासन और पुलिस को SC & ST की विशेष समस्याओं के प्रति अधिक संवेदी बनाया जाए।

2) प्रशासन द्वारा पीड़ितों के पुनर्वास पर बल देना चाहिए।

3) प्रशासन और पुलिस को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए

4) संबंधित समितियों द्वारा मॉनीटर करके और मामलों की समीक्षा।

5) सामाजिक भेदभाव के मामलों के निराकरण हेतु स्वतंत्र एजेंसियां गठित की जाएं।

6) क्षेत्रों के सर्वे सर्वेक्षण के माध्यम से जहां बहुतायात SC & ST आबादी निवासरत है।

पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना - लोगों के निकट होने के कारण, ये निम्न संस्थान बेहतर परिणाम दे सकते हैं। अनेक विकास कार्यक्रमों के निष्पादन के संबंध में।

सिविल सोसायटी संगठनों (CSO) को शामिल करना :- ये संगठन भी SC के लाभार्थ परियोजनाएँ कार्यान्वित कर रहे हैं। जिनमें सरकार से अनुदान और वित्तीय सहायता सम्मिलित है।

GENERAL STUDIES HINDI